

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक क्यू-2 / खाद्य / 2020
प्रति,


अटल नगर, दिनांक 16 मई, 2020

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- अन्य राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ़ के प्रवासी व्यक्तियों को प्रति सदस्य 05 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक क्यू/खाद्य/2020, दिनांक 16 मई, 2020

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा अन्य राज्यों से वापस आए ऐसे प्रवासी व्यक्तियों जो राज्य/केन्द्र की किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारी नहीं हैं, उन्हें माह मई एवं जून, 2020 में प्रति सदस्य 05 किलो खाद्यान्न वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्तानुसार प्रवासी व्यक्तियों को वितरण किए जाने वाले खाद्यान्न का उपभोक्ता मूल्य निःशुल्क होगा।



(मनोज कुमार सोनी) 16/05/20
विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

पृ.क्रमॉक क्यू-2 / खाद्य / 2020
प्रतिलिपि-

अटल नगर, दिनांक 16 मई, 2020

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई-दिल्ली।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
8. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, ए-ब्लॉक, द्वितीय तल सेक्टर-24, अटल नगर, नवा रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, अटल नगर, नवा रायपुर।
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर।
11. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
13. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक, छत्तीसगढ़, रायपुर।
14. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।


विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर